राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1707/2020

विजेन्द्र पंचोली **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. महानिदेशक, पुलिस, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, बीकानेर रेंज, बीकानेर।
4. पुलिस अधीक्षक, बीकानेर।
5. सुरेश कुमार पुत्र श्री लाधू लाल, हैड कांस्टेबल बैल्ट नं. 100, वर्तमान में हैड कांस्टेबल, पुलिस थाना, श्री डूंगरगढ, जिला बीकानेर कार्यरत।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.12.2020

आदेश की दिनांक : 12.07.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री शोभित तिवाडी, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 22.02.2019 को अपास्त फरमाया जावे एवं रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर जिस तिथि से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नत किया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी के नाम पर हैड कांस्टेबल के पद पर वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें। पुलिस महानिदेशक के परिपत्र दिनांक

28.06.2018 के अनुसरण में अग्रिम पदोन्नति सहायक उप निरीक्षक के पद पर आउट ऑफ टर्न गैलेण्ट्री पदोन्नति को आगे बढ़ाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति पुलिस कांस्टेबल के पद पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, बीकानेर में चयन प्रक्रिया के माध्यम से हुई थी और उसे दिनांक 21.10.2010 को एसओजी कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 22.05.2012 को वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 978 पर और निजी प्रत्यर्थी श्री सुरेश कुमार का नाम क्रम संख्या 1008 पर अंकित किया गया था। आदेश दिनांक 24.06.2014 के द्वारा अपीलार्थी का नाम हैड कांस्टेबल के पद पर रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध गैलेण्ट्री पदोन्नति के तहत नामांकन किया गया और उसे सराहनीय कार्य करने पर गैलेण्ट्री पदोन्नति हैड कांस्टेबल के पद पर रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध आदेश दिनांक 22.12.2014 के द्वारा दी गई। माह जून, 2015 में अपीलार्थी ने स्वयं के अनुरोध पर बतौर हैड कांस्टेबल जयपुर ग्रामीण में स्थानान्तरण करवाया और तब से अपीलार्थी जयपुर ग्रामीण में सेवाएं दे रहा है। आदेश दिनांक 13.08.2015 के द्वारा रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा के आयोजन की कार्यालय पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा सूचना दी गई। अपीलार्थी का नाम बीकानेर जिले की वरिष्ठता सूची दिनांक 22.05.2012 में अंकित था और उक्त पदोन्नति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। परिपत्र दिनांक 28.06.2018 के संदर्भ में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2019 में बीकानेर में हैड कांस्टेबल के पद की रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध पदोन्नति आदेश दिनांक 22.02.2019 जारी किया गया, जिसमें 54 अभ्यर्थियों को हैड कांस्टेबल के पद पर रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया, जिसमें श्री सुरेश कुमार निजी प्रत्यर्थी को हैड कांस्टेबल के पद पर रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध पदोन्नति दी गई, जो अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक है। अपीलार्थी ने उक्त संबंध में जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त की, जिसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध दिया जाना बताया गया। चूंकि अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल के पद पर वर्ष 2014–15 के विरूद्ध गैलेण्ट्री पदोन्नति दिए जाने के कारण एवं जयपुर स्थानान्तरण हो जाने के कारण

अपीलार्थी को सूचित नहीं किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उनका कोई निस्तारण नहीं किया गया।

उनका कथन है कि अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध दिनांक 24.06.2014 को हैड कांस्टेबल के पद पर गैलेण्ट्री पदोन्नति प्रदान की गई है। यदि अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध नियमित पदोन्नति हैड कांस्टेबल के पद पर दी जाती तो उसे गैलेण्ट्री पदोन्नति सहायक उप निरीक्षक के पद पर प्राप्त होती। परंतु उससे कनिष्ठ कार्मिक को हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई लेकिन अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई, जो नियम विरूद्ध है। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 22.02.2019 को अपास्त फरमाया जावे एवं रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर जिस तिथि से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नत किया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी के नाम पर हैड कांस्टेबल के पद पर वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें। पुलिस महानिदेशक के परिपत्र दिनांक 28.06.2018 के अनुसरण में अग्रिम पदोन्नति सहायक उप निरीक्षक के पद पर आउट ऑफ टर्न गैलेण्ट्री पदोन्नति को आगे बढ़ाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि बीकानेर जिले की वर्ष 2012–13 कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा हेतु आवेदन पत्र दिनांक 09.08.2015 को मांगे गए थे। जबकि अपीलार्थी को इससे पूर्व ही हैड कांस्टेबल के पद पर वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध विशेष पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के लिए विशेष नामांकन करने के पश्चात् पीसीसी उत्तीर्ण करने के बाद अपीलार्थी को दिनांक 22.12.2014 को हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई और अपीलार्थी का स्थानान्तरण जयपुर ग्रामीण में होने पर जिला बीकानेर से दिनांक 15.06.2015 को कार्यमुक्त कर दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी का यह अनुतोष बलहीन है कि उसे हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति पुलिस कांस्टेबल के पद पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, बीकानेर में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 22.05.2012 को वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 978 पर और निजी प्रत्यर्थी श्री सुरेश कुमार का नाम क्रम संख्या 1008 पर अंकित किया गया था। अपीलार्थी को गैलेण्ट्री (आउट ऑफ टर्न) पदोन्नति हैड कांस्टेबल के पद पर रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध आदेश दिनांक 22.12.2014 के द्वारा दी गई। तदुपरान्त अपीलार्थी का स्थानान्तरण बतौर हैड कांस्टेबल जयपुर ग्रामीण में हो गया। कार्यालय पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा हेतु बीकानेर जिले की वरिष्ठता सूची दिनांक 22.05.2012 जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम अंकित था। आदेश दिनांक 22.02.2019 जिसके द्वारा 54 अभ्यर्थियों को हैड कांस्टेबल के पद पर रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया, जिसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 श्री सुरेश कुमार को हैड कांस्टेबल के पद पर रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध पदोन्नति दी गई, जो अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक है। उक्त सूचना अपीलार्थी को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त हुई। अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल के पद पर वर्ष 2014–15 के विरूद्ध गैलेण्ट्री पदोन्नति दिए जाने के कारण एवं जयपुर स्थानान्तरण हो जाने के कारण अपीलार्थी को सूचित नहीं किया गया। जहां तक अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद की योग्यात्मक परीक्षा के संबंध में सूचना नहीं दिए जाने एवं अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित रखने का प्रश्न है, अनुलग्नक–4 आदेश दिनांक 24.06.2014 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का नाम पुरूस्कार एवं पदोन्नति हेतु गठित कमेटी की अभिशंषा पर रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर विशेष पदोन्नति नियम 1989 के नियम 28ए के तहत चयन किया गया और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.12.2014 के द्वारा हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई तथा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.06.2015 के द्वारा जयपुर ग्रामीण में स्थानान्तरण हो जाने के कारण कार्यमुक्त कर दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी माह जून, 2015 तक बीकानेर जिले में कार्यरत था। जबकि कार्यालय पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर योग्यात्मक परीक्षा के

आधार पर नियमित पदोन्नति आदेश दिनांक 22.02.2019 के द्वारा 54 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है, जिसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ श्री सुरेश कुमार को भी उक्त पदोन्नति दी गई। विभाग द्वारा कांस्टेबल के पद की वरिष्ठता सूची दिनांक 22.05.2012 के द्वारा दिनांक 01.04.2012 के आधार पर जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 978 पर अंकित किया गया और निजी प्रत्यर्थी श्री सुरेश कुमार का नाम क्रम संख्या 1008 पर अंकित किया गया। इससे स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी अपीलार्थी से कनिष्ठ है, परंतु विभाग द्वारा आदेश दिनांक 13.08.2015 जिसके द्वारा रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर योग्यात्मक परीक्षा आयोजन हेतु कार्मिकों को सूचना भेजी गई, परंतु उक्त सूची में न तो अपीलार्थी का नाम अंकित किया गया और न ही उसे सूचित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में यह उल्लेखित किया है कि अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति मिल जाने के कारण उसे सूचित नहीं किया गया। जबकि हमारे मत में विभाग का यह कृत्य नियम विरूद्ध है, क्योंकि अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल के पद पर रिक्त वर्ष 2014–15 के विरूद्ध विशेष पदोन्नति के तहत उक्त पदोन्नति प्रदान की गई है न कि रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध। अपीलार्थी का स्थानान्तरण भी माह जून, 2015 में बीकानेर से जयपुर ग्रामीण में हुआ है। इस प्रकार अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2012–13 के समय कार्यालय जिला बीकानेर में ही कार्यरत था। अतः अपीलार्थी उक्त पद पर रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध योग्यात्मक परीक्षा में बैठने हेतु पात्र था। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को सूचित नहीं किए जाने के कारण योग्यात्मक परीक्षा में नहीं बैठ सका और उसे रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति होने से वंचित होना पड़ा। अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध विशेष पदोन्नति के तहत हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति दी गई, जबकि उससे कनिष्ठ कार्मिक श्री सुरेश कुमार को रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, जिसके कारण अपीलार्थी अपने कनिष्ठ कार्मिक से कनिष्ठ हो गया, जो राज्य सरकार के सेवा नियमों के विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2019 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची जारी

कर रिव्यू डीपीसी आयोजित करें और अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जावे। यदि अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति हेतु पात्र पाया जाता है तो जिस तिथि से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति एवं सेवा लाभ आदि प्रदान किए गए हैं, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी उक्त सभी लाभ प्रदान किए जावें। प्रत्यर्थी विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति उपरांत राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 28ए के तहत पुलिस महानिदेशक के परिपत्र दिनांक 16.08.2016 के बिंदु संख्या 3 में उल्लेखित प्रावधानानुसार अग्रिम पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान की जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य